MR. CHAIRMAN: Please conclude. You have said everything possible to say on this.

श्री जलालुदीन अंसारी: हम चाहते हैं कि इसके पीछे क्या तथ्य रहे हैं, वह सदन को मंत्री महोदय बताएं।

†श्री جلال الدین انصاری: ہم چاہتے ہیں کہ اسکے پیچھے کیا تتھیے رہے ہیں۔ وہ سدن کو منتری مہودے بتائیں۔

SHRI C.K. JAFFER SHARIEF: Sir, the hon. Member himself has answered the question. He says, अधिकांश स्टेशन से बदबू निकलती है। ...(व्यवधान)...

श्री जलालुदीन अंसारी: आप सर्वेक्षण कराइए। ...(व्यवधान)...

†श्री جلال الدین انصاری: آپ سروے کرائیے ... مداخلت ...]

श्री सी. के. जाफर शरीफ: आप सुन लीजिए। आपकी बात हमने सुन ली, जो खतम हो गई।

The fact remains that, as the hon. Member rightly observed, the Prime Minister has laid a special emphasis on the employment problem, particularly of the people below the poverty line. Measures have been taken. This Government's policy is to help the weaker sec- tions and the poorer classes. Sir, so far as the Railways are concerned, in no way have we changed our policy. On the contrary, our policy and programme is to continue to recruit people, the Railways being the largest public sector undertak- ing, to take care of the poorer people, wherever it is possible. I have repeatedly made it very clear. I do not know why the hon. Members are simply harping on this. I have answered all the earlier questions. I have also disclosed all the facts.

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार कमिटेड है बिलो पावरटी लाइन के लोगों के लिए और शायद यह भी कहा कि कांट्रेक्टर सबसे गरीब लोग हैं इसलिए उनको नौकरी देते हैं और दूसरों को नहीं देते हैं।

एक माननीय सदस्य: यह नहीं कहा।

श्री चतुरानन मिश्र: नहीं, नहीं। इन्होंने कहा है कि कांट्रेक्टर को एम्पलाय करते हैं, दूसरे लोगों को नहीं करते हैं। तो हमने तो यही नतीजा निकाला कांट्रेक्टर का, कि... They are the poorer sections of the people. So they are employed. In any case, my point is that we have a law. In a perennial nature of work no contractor can be employed. It is a standing law already passed by us. This safai job—what he is saying—is of a perennial nature. He has already said that due to rise in traffice more sanitation is neces- sary. I agree with that. This is a perennial nature job and it is not a casual job. Will the Minister get this point—legal aspect—examined and tell the House as to what the position is?

SHRI C.K. JAFFER SHARIEF: Sir, so far as our position is concerned, there is no ambiguity in this. We are very clear. The policy is very clear. The Safai Karmacharis who have been recruited by the Railways are ...(*Interruptions*)...

SHRI CHATURANAN MISHRA: This is not my question. You have told about this and I am satisfied that you are not retrenching. What I am saying is this: In this, the people you have employed are contractors. It is a perennial-nature. Under the law you cannot do that. Will you get the legal aspect examined and tell the House what is what?

SHRI C.K. JAFFER SHARIEF: Sir, to my mind it is permanent. If still there is any doubt, we will get it examined.

वाह और सागढ़ सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया जाना

*202. श्री राघवजी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश द्वारा भेजी गई वाह और सागढ़ सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान सांसदों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) वाह सिंचाई परियोजना के निर्माण के प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वानिकी की दृष्टि से और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण की दृष्टि से गुण-दोष के आधार पर नामंजूर कर दिया गया है। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव और उपयुक्त पुनर्वास के बिना बहुत से लोगों के विस्थापन सहित प्रस्ताव की विस्तृत जांच करने के बाद प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है। जहां तक सागढ़ सिंचाई परियोजना का संबंध है, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मध्य प्रदेश सरकार से अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वाह परियोजना की मंजूरी के बारे में संसद सदस्यों से पत्र प्राप्त हुए हैं। इन पत्रों के प्राप्त होने के बाद, प्रस्ताव पर पुनः विचार करने के लिए राज्य सरकार से कतिपय ब्यौरे भेजने का अनुरोध किया गया है। ये ब्यौरे राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री राघवजी: सभापति जी, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, जहां पर कि ये दोनों सिंचाई योजनाएं प्रस्तावित थीं, यह ऐसा क्षेत्र है जहां सिंचाई का प्रतिशत लगभग शून्य के बराबर है क्योंकि वहां पर न कोई तालाब है, न कोई बांध है और ट्यूबवैल सफल इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत गहराई तक पानी नहीं है। ये दोनों योजनाएं राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित की गई थीं जिसके बारे में मंत्री महोदय ने कहा है कि वह वन प्रभावित क्षेत्र है, तो वह वाह योजना, जहां पर वह क्षेत्र आता है, वहां वन है ही नहीं। वन विभाग में भले ही वह जमीन हो, लेकिन कोई पेड़ वहां नहीं है, कोई छायादार या बड़े पेड़ वहां पर नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, पर्यावरण के प्रभावित होने का कोई प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अस्वीकार करते समय किस प्रकार से वन प्रभावित हो रहे थे और किस प्रकार से पर्यावरण प्रभावित हुआ था? यह तो (क) भाग हुआ और (ख) भाग मेरा यह है कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इस प्रस्ताव के बारे में कुछ और ब्यौरा राज्य सरकार से मांगा गया है, तो उस ब्यौरे की मुख्य बातें कौन-कौन सी हैं और यह ब्यौरा राज्य सरकार से किस तारीख को मांगा गया है।

श्री कमल नाथ: सर, जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, यह 1988 में रिजेक्ट हुआ था और जब 1988 में रिजेक्ट हुआ था, उस समय यह मेजर सिंचाई योजना थी। इस प्रस्ताव में लगभग 1,050 सदस्यों के रिहेब्लिटेशन की आवश्यकता थी और 6 गांवों की इसमें कम्पलीटली डूबने की संभावना थी, साथ-साथ 22 गांवों की भी इसमें पार्शली डूबने की बात थी। सर, जहां तक यह वन-भूमि का प्रश्न है, वहां जो पेड़ हैं, यह .4 और .7 डेंग्सिटी का फारेस्ट है। तो इस आधार पर जब पूरी योजना की जांच करी गई तो केवल वन दृष्टिकोण से ही नहीं, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी इसे रिजेक्ट किया गया। सर, उसके बाद राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को फिर से मोडिफाई करके भेजा है-मेजर इरिगेशन योजना से एक मीडियम इरीगेशन योजना बनाकर। इसमें अब कुल सिंचाई 9893 हैक्टेयर की होनी है। सर, इसमें हमने उनके जानकारी मांगी है और 20 फरवरी को हमने जो जानकारी राज्य सरकार से मांगी है, यह जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है।

श्री राघवजी: किस साल?

श्री कमल नाथ: इस साल जो मांगी है, वह नहीं आई है। साथ-साथ जो पर्यावरण का प्रश्न है, जो उन्होंने जानकारी मांगी थी, वह जानकारी आ गई है और यह पर्यावरण विभाग को भेज दी गई है। तो जैसे ही यह जवाब राज्य सरकार से आता है, इस पर फिर से विचार किया जाएगा।

श्री राघवजी: सभापति जी, जिस डेंग्सिटी का वन इन्होंने वहां बताया है, उस डेंग्सिटी का वन कागज़ों में भले ही होगा, लेकिन मौके पर, वहां पर नहीं है। इसकी दूसरी तरफ, दूसरा पहलू यह है कि उसी विदिशा जिले की जो लेटेरी तहसील है, जहां पर कि मक्सूदनगढ़ योजना की स्वीकृति माननीय मंत्री जी ने प्रदान कर दी, वहां पर हजारों सागवान के वृक्ष, कीमती वृक्ष डूब में आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मुख्य मंत्री जी के कुछ रिश्तेदारों को सिंचाई उपलब्ध हो सके। यह स्थिति मक्सूदनगढ़ योजना की है। इन्होंने अभी पुनर्वास की बात कही है कि 6 गांवों के डूबने की संभावना थी, तो ऐसी तो कोई योजना भी नहीं होगी जिसमें 6 गांव से कम डूबे होंगे। तो यह तो न्यूनतम हानि है और इनके पुनर्वास की बात कोई बड़ी बात थी भी नहीं तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो सकती थी।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो सघड़ योजना के बारे में कहा कि कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, तो मेरा यह प्रश्न है अगर कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ तो क्या कोई अनौपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है या कोई ऐसा प्रस्ताव

प्राप्त होने के बाद आपने इसमें कुछ खामियां दरसा कर पूरा प्रस्ताव वापिस कर दिया और फिर आप उसे शून्य बतला रहे हैं?

श्री कमल नाथ: सर, केन्द्र सरकार को किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं मिला है-फार्मल हो या इनफार्मल हो। पर यह मुझे जानकारी है कि जो वहां नोडल एजेंसी है, राज्य के वन विभाग ने इसमें कुछ प्रश्न सिंचाई विभाग से मांगे हैं और जब राज्य सरकार के वन विभाग को यह जवाब मिल जाएंगे तब शायद राज्य सरकार जैसा फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में है, उस प्रकार प्रस्ताव भेजेगी।

श्री कैलाश नारायण सारंग: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे साथी राघवजी जी ने कहा कि विदिशा जिले में सिंचाई का प्रतिशत कम है और यह योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। न वहां वन है, न कोई बहुत बड़ा डूब का हिस्सा इसमें आ रहा है जिससे बहुत लोग विस्थापित हों। परन्तु मैं मंत्री महोदय से एक सीधा प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या इस योजना को रद्द करने के पीछे कोई राजनीतिक दबाब है, यह कृपया स्पष्ट करें क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार किसी एक प्रमुख व्यक्ति की जमीन वहां आ रही है इसलिए यह सारा हो रहा है।

श्री कमल नाथ: सर, जैसा मैंने यह कहा कि यह 1988 में रिजेक्ट हुआ था और जो अब फिर से यह प्रस्ताव दिया गया है, जब यह पहले रिजेक्ट हुआ था, मुझे जानकारी नहीं है कि किसकी जमीन इसमें डूबने वाली थी। पर अब .....(**व्यवधान**)

श्री कैलाश नारायण सारंग: क्या आप इसकी जांच करा सकते हैं कि एक पूर्व सांसद की जमीन आने के कारण ऐसा हो रहा है। और मकसूदनगढ़ का केस जिसमें बहुत बड़े-बड़े 11 हजार पेड़ हैं, वह एरिया काफी बड़ा है, हम तो वहां रोज घूमते हैं मंत्री महोदय।

श्री कमल नाथ: सर, 1988 में जब यह रिजेक्ट हुआ उसके बाद फिर से जो यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है, उसकी इस दृष्टि से जांच नहीं होगी कि किसकी जमीन डूब रही है या किसकी जमीन नहीं डूब रही है, वरन इस पर जांच होगी कि इस योजना का प्रभाव पर्यावरण और वन पर क्या होता है, उसको देखते हुए इसका फैसला होगा।

श्री कैलाश नारायण सारंग: मंत्री महोदय, वहां वन नहीं है, बिल्कुल सपाट है सपाट।

श्री गोविन्दराम मिरी: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की ऐसी कितनी सिंचाई योजना है जिनको केन्द्र शासन ने स्वीकृति नहीं दी है, कितनी लम्बित हैं? पार्ट-2 में मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि सागढ़ सिंचाई योजना में हो रहा है कि वहां पर वास्तव में जंगल है नहीं और कागज में जंगल, है, ऐसा बताया गया है। क्या मंत्री महोदय, इस तथ्य को जानने के लिए कोई कमेटी नियुक्त करेंगे कि वास्तव में वहां जंगल है या नहीं है और डिपार्टमेंट उनको धोके में रख रहा है? क्या ऐसी कोई जांच कराएंगे।

श्री कमल नाथ: सर, 1980 से फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में 291 योजनाएं प्राप्त हुई। 195 एप्रूब्ड हैं, 19 रिजेक्ट हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने 5 विद्ड्रा कर ली हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास 58 पेंडिंग हैं तथा केन्द्र सरकर के पास एक ही सिंचाई योजना फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में पेंडिंग है।

श्री गोविन्दराम मिरी: जहां जंगल नहीं है वहां जंगल बताए जा रहे हैं।

श्री कमल नाथ: माननीय सदस्य को मैं बतला दूं कि जो वन भूमि होती है, यह आवश्यक नहीं है कि उसके ऊपर वन हों, फारेस्ट लैंड फारेस्ट लैंड होती है, जो फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जस्टिफाइ है।

और ऐसी भी वन भूमि है जो हमारा डीग्रेडेड फारेस्ट लैंड है तो बहुत सारा, 25 मिलियन हैक्टेयर अपने देश में डीग्रेडेड फारेस्ट लैंड है जिस पर वन नहीं है। तो यह मान कर चलना कि फारेस्ट कन्जर्वेशन ऐक्ट के अंतर्गत जो भूमि है, उस पर वन हैं या घने-घने वन हैं, यह सही नहीं होगा।

श्री राघवजी: जो डीग्रेडेड लैंड है वही डूब रही है और दूसरी तरफ मुख्य मंत्री को खुश करने के लिए जो डीग्रेडेड नहीं है, उसको आप डुबा रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Question No. 203.

*203[*The Questioners (Shri T. Venkatram Reddy and Shri G. Prathapa Reddy) were absent. For answer vide col.* 30 *infra.*]

MR. CHAIRMAN: Question No. 204.

Reimbursement of Octroi to M.C.D.

*204. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Central Government had promised to reimburse the loss of revenue suffered by the Municipal Corporation of Delhi on account of abolition of octroi in Delhi in